

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

उपक्रम/संस्थागत/अ-3/संख्या: 140/2002/353

दिनांक : 26.7.2002 *Rejd*

आदेश

श्री विवेक सिन्हा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देवाड़ी-123401, हरियाणा से सत्र 2002-2003 से एन एन पाठ्यक्रम की अतिरिक्त संघों की मान्यता हेतु आवेदन फार्म संशोधित नकारात्मक में दिनांक 26.12.2001 में प्राप्त हुआ था। इस आवेदन पत्र को 49वीं राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के 49वीं अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही के संदर्भ में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। उत्तर क्षेत्रीय समिति के 49वीं बैठक में निर्णय लिया है कि जिन संस्थाओं के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों का साक्ष्य नहीं है उन आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाये।

श्री विवेक सिन्हा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देवाड़ी-123401, हरियाणा से सत्र 2002-2003 से एन एन पाठ्यक्रम की अतिरिक्त संघों की मान्यता हेतु प्रस्तुत फार्म आवेदन को संस्था द्वारा आवेदन के साथ भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज एवं हरियाणा राज्य सरकार का एन एन पाठ्यक्रम हेतु अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करने के कारण आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाता है।

यदि आप सत्र 2004 से मान्यता चाहते हैं तो आपको निर्धारित प्रक्रिया के सम्पूर्ण आगम से पुनः विचारित सम्पुर्णकृतित दस्तावेजों सभी संलग्न करना होगा।

आशा है

[Signature]
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति

श्रीमान
श्री विवेक सिन्हा ए. ए. आर. एजुकेशन,
देवाड़ी-123401, हरियाणा

प्रतिनिधि सुसमर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शिक्षा सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय, पंजीकरण
2. सहायक सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, ईस्ट फ्लोर, इण्डिया मार्ग, इंदौर स्टेशन रोड, नई दिल्ली - 2

क्षेत्रीय निदेशक